File No. K-11011/1/2023- CB
Government of India
Ministry of Panchayati Raj

11th Floor, Jeevan Prakash Building
25 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi
Dated:3rd April, 2023

Subject: Minutes of the First Central Empowered Committee Meeting of Revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) for the Financial Year 2023-24 held on 17th March, 2023.- regarding.

Please find attached herewith a copy of the minutes of First Central Empowered Committee Meeting of Revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) for the Financial Year 2023-24 held on 17th March, 2023 under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Panchayati Raj for information and necessary action.

(Bijendra Khola)
Section Officer
Tel: 011-23753817

To,

i. The members of the Committee
ii. To all concerned State Government (Assam, Bihar, Goa, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Nagaland, Tamil Nadu and West Bengal)

Copy to.

NIC to upload on the website

17 मार्च, 2023 को आयोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पहली केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की पहली बैठक 17 मार्च, 2023 को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में 9वीं मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

3. इसके बाद, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव और सीईसी के अध्यक्ष ने अपने उद्घाटन भाषण में आरजीएसए योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला।

• कोषागार से एसएनए को केंद्रीय हिस्सा हस्तांतरित करने में देरी और केंद्रीय हिस्सा जारी होने के बाद भी राज्य वित्त विभाग से राज्य मिलान हिस्सा जारी करने में देरी।

• वित्त मंत्रालय ने निधियों के पार्किंग पर गंभीरता से ध्यान दिया।

• पीएफएमएस, एसएनए, खातों को बंद करने, निधियों की रिहाई के लिए विभिन्न उपक्रमों के संबंध में अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत की जानी चाहिए।

• सभी पंचायत ईआर को उनके कार्यकाल में कम से कम दो बार प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, यानी चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर और 2 साल के भीतर।

• जिन राज्यों की एएपी पर सीईसी में विचार किया जा रहा है, उन्हें वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में निधि की शीघ्र रिहाई के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करना और यूसी सहित आवश्यक दस्तावेजों को समय पर साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

• चूंकि एसआईआरडी और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों की कमी है, इसलिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उन्हें मजबूत करने और स्थायी कोर फैकल्टी रखने की जरूरत है और इसके लिए बनाए गए पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए।

4. इसके बाद, अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के एजेंडे पर विचार किया गया। संयुक्त सचिव ने बताया कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जिसमें विषयगत प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट और मास्टर ट्रेनर आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया।

(i) <u>एजेंडा 1: ई-गवर्नेंस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एमओपीआर में क्लाउड प्रौद्योगिकी की तैनाती/ ई-ग्रामस्वराज पोर्टल</u>

1.1 सीईसी को बताया गया कि वर्तमान में ई-ग्रामस्वराज सहित मंत्रालय के सभी ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन स्थानीय रूप से दिल्ली में एनआईसी डेटा सेंटर में होस्ट किए जाते हैं, जिसका प्रबंधन एनआईसी तकनीकी टीम द्वारा किया जाता है। हालांकि, यह देखा गया है कि कई बार पोर्टल पर अचानक लोड बढ़ने पर बुनियादी ढांचा प्रणाली उसे संभालने में सक्षम नहीं होती है। हाल ही में 30 जनवरी 2023 को आयोजित सम्मेलन "मंथन: नए रास्ते तैयार करना" और उसके बाद की बैठकों में एमओपीआर के लिए क्लाउड बुनियादी ढांचे की स्थापना की आवश्यकता पर

जोर दिया गया। ऑन-प्रिमाइसेस होस्टिंग की तुलना में क्लाउड प्रौद्योगिकी के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

i. (iv) लोच-ऑटो स्केल अप/डाउन
ii. (v) अचानक लोड स्पाइक्स के लिए योजना बनाने की आवश्यकता नहीं
iii. (vi) स्केल अप/डाउन के लिए कोई लीड टाइम नहीं
iv. (vii) केवल उसी के लिए भुगतान करें जो उपयोग किया जा रहा है
v. (viii) पीक लोड पर भी कम विलंबता (मिलीसेकंड में)
vi. (ix) डेटा एनालिटिक्स/एआई-एमएल आधारित समाधान जैसे नए समाधानों को तैनात करना आसान
vii. (x) बेहतर आपदा रिकवरी की पेशकश करने वाली अधिक लचीली वास्तुकला
viii. (xi) बढ़ी हुई सुरक्षा और शासन के लिए सुरक्षा उपकरण तैनात करना आसान
ix. (xii) अगर ठीक से प्रबंधित किया जाए तो बेहतर लागत अनुकूलन

1.2 तदनुसार, यह प्रस्तावित है कि क्लाउड माइग्रेशन दो चरणों में किया जाएगा:
• चरण 1: ई-पंचायत एमएमपी के तहत सभी नए एप्लिकेशन विकास क्लाउड-आधारित होंगे।
• चरण 2: ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन को अप्रैल, 2024 तक क्लाउड आधारित बुनियादी ढांचे में माइग्रेट किया जाएगा।

1.3 उपर्युक्त के मद्देनजर, आगामी नए एप्लिकेशन विकास के लिए क्लाउड-आधारित सेवाओं की खरीद का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3 करोड़ रुपये का अनुमानित वित्तीय भार आरजीएसए के केंद्रीय घटक से वहन किया जाएगा। यह उल्लेख किया गया कि MeitY (डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, DIC) के साथ सूचीबद्ध प्रबंधित सेवा प्रदाता (MSP) / क्लाउड सेवा प्रदाता (CSP) हैं जो सरकारी संस्थानों के लिए क्लाउड बुनियादी ढांचे को आसानी से स्थापित कर सकते हैं।

1.2 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और आगामी नए अनुप्रयोग विकास के लिए उपरोक्त पैरा में उल्लिखित क्लाउड-आधारित सेवाओं की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान किया, जिसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3 करोड़ रुपये का अनुमानित वित्तीय व्यय आरजीएसए के केंद्रीय घटक से किया जाएगा।

एजेंडा 2: ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजनाओं (जीपीएसडीपी) के संवर्धन का संचालन

2.1 सीईसी को अवगत कराया गया कि पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2020 में भारत के 14 राज्यों में 17 भागीदार योजना और वास्तुकला संस्थानों जैसे एसपीए, सीईपीटी, एनआईटी, आईआईटी और राष्ट्रीय ख्याति के अन्य संस्थानों की मदद से 34 जीपीएसडीपी तैयार किए हैं। तैयार किए गए जीपीएसडीपी चयनित 34 ग्राम पंचायतों (जीपी) की मौजूदा स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने, बुनियादी ढांचे (भौतिक और सामाजिक) की सेवा वितरण से संबंधित मुद्दों की पहचान करने, आगामी 10-20 वर्षों के लिए विभिन्न

जरूरतों को पेश करने और अनुमानों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करने में एक कदम साबित हुए हैं।

2.1 तैयार जी.पी.एस.डी.पी. को पायलट आधार पर अद्यतन करने और बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। तैयार जी.पी.एस.डी.पी. को बढ़ाने के लिए भागीदार संस्थानों के माध्यम से निम्नलिखित जी.पी.एस. को पायलट आधार पर लिया जा सकता है:

क्र.सं	राज्य	जिला	ग्राम पंचायत का नाम	संस्थाएं
1	मध्य प्रदेश	सीहोरी	बिलकिसगंज	एसपीए भोपाल
2	गुजरात	आनंद	तारापुर	सीईपीटी यूनिवर्सिटी
3	आंध्र प्रदेश	कृष्ण	तेलाप्रोलू	एसपीए विजयवाड़ा
4	उत्तराखंड	हरिद्वार	बेलाडा	आईआईटी रुड़की
5	महाराष्ट्र	पुणे	बेल्हे	बीवीपी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर
6	महाराष्ट्र	अहमदनगर	गुहा	सर जे.जे. कॉलेज ऑफ
7	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध	कलौंदा	आर्किटेक्चर

2.3 तदनुसार, उपर्युक्त ग्राम पंचायतों के लिए पायलट आधार पर तैयार जी.पी.एस.डी.पी. को उन्नत और संवर्धित करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें कुल 35 लाख रुपये (7 ग्राम पंचायत x 5 लाख रुपये) का वित्तीय भार आएगा।

2.4 सी.ई.सी. ने प्रस्ताव पर विचार किया और आर.जी.एस.ए. के केंद्रीय घटक से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 35 लाख रुपये (7 ग्राम पंचायत x 5 लाख रुपये) के अनुमानित वित्तीय भार के साथ उपरोक्त पैरा 2.2 और 2.3 में उल्लिखित विवरण के अनुसार पायलट आधार पर तैयार जी.पी.एस.डी.पी. को उन्नत और संवर्धित करने की स्वीकृति दी।

एजेंडा 3: आरजीएसए के केंद्रीय घटक के तहत ग्राम ऊर्जा स्वराज के लिए जनशक्ति/परामर्शदाताओं की नियुक्ति

3.1 सीईसी को बताया गया कि पूरे देश में ग्राम ऊर्जा स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय 'ग्राम ऊर्जा स्वराज' की अवधारणा को बढ़ावा दे रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाने के लिए ग्राम पंचायतों (जीपी) की उपयुक्तता और झुकाव का पता लगाने के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। देश में "ग्राम ऊर्जा स्वराज" के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। देश में "ग्राम ऊर्जा स्वराज" के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करने में सहायता के लिए दो सलाहकारों की सेवाओं की आवश्यकता होगी। ये सलाहकार ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान को आगे बढ़ाएंगे, दस्तावेज तैयार करेंगे, हितधारकों से बातचीत करेंगे, आदि। स्थायी कर्मचारियों को संशोधित आरजीएसए के अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में डायरी संख्या **304/**आईएफडी/एमओपीआर/**2022-23** दिनांक **03.03.2023** के माध्यम से आईएफडी की सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही प्राप्त हो चुकी है, जिसके अंतर्गत **1** वर्ष अर्थात **2023-24** के लिए **31.20** लाख रुपये का वित्तीय भार आएगा।

3.2 आरजीएसए के केंद्रीय घटक अर्थात तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीटीए) के अंतर्गत जनशक्ति की नियुक्ति के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान को आगे बढ़ाने के लिए **1** वर्ष अर्थात **2023-24** के लिए **31.20** लाख रुपये के वित्तीय भार के साथ दो सलाहकारों की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया था।

3.1 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और आरजीएसए के केंद्रीय घटक यानी तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीटीए) के तहत जनशक्ति की नियुक्ति के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक वर्ष यानी 2023-24 के लिए 31.20 लाख रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ दो सलाहकारों को नियुक्त करने की मंजूरी दी।

एजेंडा **4: 2022-23** से **2025-26** तक **4** वर्षों के लिए भारत भर में **250** आदर्श जीपी क्लस्टर बनाने और गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी को सक्षम करने की परियोजना

4.1 सीईसी को अवगत कराया गया कि 2020-21 और 2021-22 के लिए आरजीएसए के तहत मॉडल जीपी क्लस्टर की परियोजना को मंजूरी दी गई थी, ताकि भारत भर में 1100 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाए जा सकें, ताकि जीपी के संस्थागत सुदृढ़ीकरण और गुणवत्ता वाले जीपीडीपी को सक्षम करने के माध्यम से समग्र और सतत विकास प्राप्त किया जा सके। इसकी वार्षिक लागत 15.54 करोड़ रुपये है, जो एनआईआरडी और पीआर के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए कुल 31.08 करोड़ रुपये है। इसके बाद, संशोधित आरजीएसए के तहत, 2022-23 के लिए 15.54 करोड़ रुपये की लागत के लिए 250 मॉडल जीपी क्लस्टर परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना को 2022-23 से 2025-26 तक 4 साल के लिए विस्तार देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई, इस शर्त के साथ कि परियोजना के तहत बाद के वर्षों के लिए बजटीय सहायता प्रगति, वास्तविक आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर विचार की जाएगी।

4.2 यह भी बताया गया कि 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने की परियोजना अक्टूबर 2021 के मध्य में शुरू हुई थी, जिसमें 25 जिलों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 686 जीपी को कवर करने वाले 157 क्लस्टर शामिल थे। इस बीच, 44 युवा फेलो ने इस्तीफा दे दिया और 28.02.2023 तक युवा फेलो की संख्या घटकर 113 रह गई। वर्तमान में, परियोजना 23 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 500 जीपी वाले 113 क्लस्टर (250 के मुकाबले) में चल रही है। एनआईआरडीपीआर ने आश्वासन दिया है कि अप्रैल, 2023 तक शेष युवा फेलो की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

4.3 चूंकि, सीईसी ने पहले ही 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्षों के लिए परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, परियोजना की निरंतरता के लिए 15.54 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के लिए सीईसी की मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2023-24 के लिए जीपी क्लस्टर के 250 सफल मॉडल बनाना।

4.4 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और 2023-24 में 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने और गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी को सक्षम करने के लिए 15.54 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना को जारी रखने की मंजूरी दी, जिसे केवल मौजूदा घटकों के साथ एनआईआरडी एंड पीआर के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है।

4.5 हालांकि, सीईसी ने सलाह दी कि राज्य/जिले/ब्लॉक को परियोजना का स्वामित्व लेना चाहिए और इस कुशल जनशक्ति का उपयोग विभिन्न नवीन और उभरते क्षेत्रों में पीआरआई को गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी और अन्य हैंडहोल्डिंग समर्थन तैयार करने के लिए इष्टतम रूप से करना चाहिए। राज्यों को परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। सीईसी ने यह भी निर्देश दिया कि एनआईआरडी एंड पीआर रिक्ति के विरुद्ध युवा फैलो की भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा करे, ताकि परियोजना को सभी 250 जीपी क्लस्टरों में लागू किया जा सके। एनआईआरडी एंड पीआर मॉडल क्लस्टर परियोजना के तहत युवा फैलो के मात्रात्मक वितरण के आधार पर एक उपयुक्त वेब आधारित निगरानी तंत्र स्थापित करेगा। राज्यों और एनआईआरडीपीआर को नियमित आधार पर वाईएफ की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा, एमओपीआर को निगरानी डैशबोर्ड तक पहुंच दी जानी चाहिए।

4.6 2022-23 के दौरान परियोजना के लिए एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा रिपोर्ट किया गया व्यय केवल 6.27 करोड़ रुपये था। युवा फेलो को बनाए रखने और रिक्तियों को भरने के मुद्दों को एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा उचित रूप से संबोधित नहीं किया गया। समिति ने चिन्हित क्लस्टरों में परियोजना को पूरी क्षमता से संचालित करने के लिए व्यय और भर्ती पूरी न होने पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिया कि परियोजना के

तहत भर्ती प्रक्रिया जो पहले ही शुरू हो चुकी है, उसे 31 मार्च, 2023 तक पूरा किया जाए। एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा परियोजना के तहत भर्ती पूरी करने की इसी समयसीमा की जानकारी 16 मार्च, 2023 को आयोजित माननीय पंचायती राज मंत्री की युवा फेलो के साथ बैठक में भी दी गई।

<u>एजेंडा 5: महाराष्ट्र राज्य के ठाणे, नंदुरबार और पालघर जिलों के पेसा क्षेत्र में 134 नए ग्राम पंचायत भवन का प्रस्ताव।</u>

5.1 सीईसी को अवगत कराया गया कि 9 जून, 2022 को आयोजित आरजीएसए की पहली सीईसी बैठक में महाराष्ट्र के 2022-23 के एएपी पर 261.876 करोड़ रुपये की राशि पर विचार किया गया था। हालांकि, राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक आरजीएसए 2023. सी. आर. 12/आस्था-15 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के ठाणे, नंदुरबार और पालघर के पेसा जिले में 134 नए पंचायत भवन के निर्माण पर विचार करने का अनुरोध किया था। मंत्रालय में प्रस्ताव पर एक विशेष मामले के रूप में विचार किया गया और सचिव, पीआर द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

5.2 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और महाराष्ट्र के उक्त पेसा जिलों में एक विशेष मामले के रूप में 134 नए पंचायत भवन के निर्माण को मंजूरी दी। 289.604 करोड़ रुपये तक। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए महाराष्ट्र राज्य का संशोधित बजट सारांश अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

एजेंडा 6: समिति द्वारा अनुमोदित अभिनव और आर्थिक विकास परियोजना का प्रशासनिक अनुमोदन (बिहार, मध्य प्रदेश, नागालैंड और उत्तराखंड)

6.1 सीईसी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बिहार, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत अभिनव और आर्थिक विकास परियोजनाओं के बारे में अवगत कराया गया और यह भी बताया गया कि प्रस्तावों पर अतिरिक्त सचिव (एमओपीआर) की अध्यक्षता में आयोजित अलग बैठक में विचार किया गया और उन्हें मंजूरी दी गई। परियोजना का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रूपए में)

राज्य	परियोजना का नाम	वर्ग	अनुमोदित बजट
बिहार	9500 प्लंबरों का प्रशिक्षण	आर्थिक विकास और आय वृद्धि	9.533
मध्य प्रदेश	पर्यटन के माध्यम से आजीविका के अवसर पैदा करना	आर्थिक विकास और आय वृद्धि	6.00
	मध्य प्रदेश के गांवों में आधारित सूक्ष्म उद्यम	आर्थिक विकास और आय वृद्धि	3.00
नागालैंड	मनरेगा अज्जेविका भाऊखेड़ी एकिकृत पार्क का संवर्धन	नवीन परियोजना	1.50
	यांग्ज़िटोंग में सामुदायिक संसाधन केंद्र की स्थापना	नवीन परियोजना	2.12
उत्तराखंड	किफिरे जिले के अंतर्गत गाँव	आर्थिक विकास और आय वृद्धि	4.00

6.2 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और राज्यों के संशोधित बजट सारांश को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ रूपए में)

राज्य	पिछला स्वीकृत बजट	संशोधित बजट
बिहार	423.586	433.451
मध्य प्रदेश	416.76	435.39
नागालैंड	43.113	46.859
उत्तराखंड	116.717	120.857

एजेंडा-7 (अध्यक्ष की अनुमति से अतिरिक्त एजेंडा के रूप में विचार किया गया): 2023-24 में कार्यान्वयन के लिए 'सतत प्रशिक्षण और ई-सक्षमता द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के माध्यम से भारत को बदलना (टीआईएसपीआरआई)' चरण-III को जारी रखने का प्रस्ताव

7.1 सीईसी को सूचित किया गया कि मंत्रालय ने 2017 में सीबी-पीएसए/आरजीएसए के तहत तीन साल 2017-18 से 2019-20 की अवधि में कार्यान्वयन के लिए एनआईआरडी एंड पीआर को 'सतत प्रशिक्षण और ई-सक्षमता द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के माध्यम से भारत को बदलना (टीआईएसपीआरआई)' चरण-I नामक एक अभिनव परियोजना को मंजूरी दी थी। परियोजना के सफल समापन के बाद, टीआईएसपीआरआई चरण II को एनआईआरडी एंड पीआर को 2020-21 से 2021-22 तक कार्यान्वयन के लिए 19.75 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, संशोधित आरजीएसए के तहत, टीआईएसपीआरआई-III को टीआईएसपीआरआई चरण- II के मौजूदा घटकों के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि के लिए एनआईआरडी एंड पीआर के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था।

7.2 टीआईएसपीआरआई चरण- III (दूसरे वर्ष यानी 2023-24 के लिए) का प्रस्ताव एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा प्रशिक्षण के सभी महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे एसडीजी का स्थानीयकरण, पंचायतों का ई-सक्षमीकरण, ओएसआर का जुटाव, और परियोजना आधारित बीपीडीपी और डीपीडीपी, आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानिक योजना, वाश सेवाओं का अनुबंध प्रबंधन और पीपुल्स प्लान अभियान को समर्थन, ग्राम सभा को जीवंत बनाना और सेवा आधारित नागरिक चार्टर आदि में पीआरआई की क्षमता निर्माण में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रस्तुत किया गया था। टीआईएसपीआरआई चरण III के तहत, विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर बनाए जाएंगे। टीआईएसपीआरआई के दूसरे वर्ष- III को निम्नलिखित कार्य योजना के अनुसार प्रशिक्षण और कार्यशालाओं आदि के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शामिल करके 2023-24 के दौरान कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है:

(राशि करोड़ रूपए में)

विवरण	कुल
कार्यक्रम लागत	8.75
मानव संसाधन लागत	1.38
उप योग	10.13
संस्थागत शुल्क	1.01
कुल योग	11.14

7.3 चूंकि, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) एक सतत प्रक्रिया है; सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और टीआईएसपीआरआई-चरण III को दूसरे वर्ष यानी 2023-24 में जारी रखने को मंजूरी दी, जिसे टीआईएसपीआरआई चरण- III के पहले वर्ष के मौजूदा घटकों के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि के लिए एनआईआरडी एंड पीआर के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है। प्रगति, वास्तविक आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर वर्ष के दौरान बजटीय सहायता में किसी भी वृद्धि पर विचार किया जा सकता है।

7.4 इसके अलावा, सीईसी ने पाया कि टीआईएसपीआरआई- III, जैसा कि इसे 8 करोड़ रुपये की लागत के लिए 2023-24 के लिए अनुमोदित किया गया था, समय के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया गया था और केवल एनआईआरडी एंड पीआर वर्ष के दौरान 3.59 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने में सक्षम था। इसके तहत भर्ती भी पूरी नहीं हुई है। सीईसी ने गंभीर चिंता व्यक्त की और निर्देश दिया कि 2023-24 के लिए स्वीकृत 8 करोड़ रुपये की राशि को समय के अनुसार सभी अनुमोदित घटकों पर विवेकपूर्ण तरीके से खर्च किया जाए। SoEPR में पहले से शामिल किए गए घटकों को TISPRI-III के अंतर्गत दोहराया नहीं जाएगा। NIRD&PR को TISPRI-III के मात्रात्मक परिणामों के आधार पर एक उपयुक्त वेब आधारित निगरानी तंत्र स्थापित करना होगा। NIRD&PR द्वारा TISPRI-III के प्रत्येक घटक के अंतर्गत प्रगति की मासिक रिपोर्ट MoPR को प्रस्तुत की जाएगी।

एजेंडा-8 (अध्यक्ष की अनुमति से अतिरिक्त एजेंडा के रूप में माना गया): एनआईआरडी और पीआर में पंचायती राज के लिए उत्कृष्ट विद्यालय (एसओईपीआर) की स्थापना और एसआईआरडी में मानव संसाधन का प्रावधान

मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया गया कि एनआईआरडी&पीआर की पंचायती राज शाखा, जो स्थानीय शासन स्कूल के अंतर्गत एक केंद्र है, अब तक अपर्याप्त कर्मचारियों, कम बुनियादी ढांचे और सीमित संसाधनों के साथ एनआईआरडी&पीआर के 20 केंद्रों में से सिर्फ एक के रूप में कार्य करने तक ही सीमित रही है। नतीजतन, अपने सर्वोत्तम प्रयासों और हस्तक्षेपों के बावजूद, एनआईआरडी&पीआर पंचायती राज प्रणाली और राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडी&पीआर) जैसे उनके सहायक संस्थानों को मजबूत करने के मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहता है ताकि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 243जी में परिकल्पित स्वशासन के संस्थानों के रूप में विकसित करने में मदद मिल सके। इसलिए, एनआईआरडी&पीआर द्वारा एनआईआरडी&पीआर में पंचायती राज के लिए उत्कृष्टता स्कूल (एसओईपीआर) की स्थापना और एसओईपीआर के तहत विभिन्न स्तरों पर 41 मानव संसाधनों के साथ निम्नलिखित 9 केंद्रों के साथ एसआईआरडी में मानव संसाधन के प्रावधान के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था:

(i) पंचायत शासन, ई-शासन और सेवा वितरण केंद्र
(ii) पंचायत वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा केंद्र

(iii) एसडीजी के स्थानीयकरण, एकीकृत पंचायत योजना और अभिसरण केंद्र

(iv) पंचायतों के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र

(v) पंचायतों के माध्यम से जैव विविधता, पर्यावरण उन्नयन और निर्मित पर्यावरण के लिए केंद्र

(vi) पंचायतों के माध्यम से कौशल और आर्थिक विकास के लिए केंद्र

(vii) पंचायतों के माध्यम से मानव विकास (स्वास्थ्य और शिक्षा) केंद्र

(viii) पंचायतों के माध्यम से संघर्ष प्रबंधन और विवाद समाधान केंद्र

(ix) पंचायत सांख्यिकी, पंचायत नीति सुधार और वकालत केंद्र

8.2 इसी प्रकार, एसआईआरडी में भी प्रभावी और केंद्रित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से पीआरआई को मजबूत करने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन नहीं हैं। इसलिए, एनआईआरडी और पीआर ने आवश्यकता-विशिष्ट तैनाती के लिए एनआईआरडीपीआर में 12 आरक्षित जनशक्ति सहित कुछ लचीलेपन के साथ जिलों की संख्या के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 32 एसआईआरडी में अतिरिक्त 172 जनशक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।

8.3 उपर्युक्त परियोजना का प्रस्तावित वित्तीय निहितार्थ 2023-24 में 18.42 करोड़ रुपये, 2024-25 में 24.06 करोड़ रुपये और 2025-26 में 26.06 करोड़ रुपये है, जो तीन वर्षों के लिए कुल 68.53 करोड़ रुपये है।

8.4 सीईसी ने **अनुबंध-III** के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए 18.42 करोड़ रुपये की राशि के परियोजना प्रस्ताव (एसओईपीआर और एसआईआरडी को मजबूत बनाना) पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। परियोजना के अगले वर्षों के लिए निरंतरता और बजटीय सहायता पर सीईसी द्वारा प्रगति, वास्तविक आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

8.5 सीईसी ने निर्देश दिया कि टीआईएसपीआरआई-III के अंतर्गत पहले से शामिल घटकों को एसओईपीआर में शामिल नहीं किया जाएगा। महानिदेशक, एनआईआरडी और पीआर ने आश्वासन दिया कि टीआईएसपीआरआई-III में लिए गए/कार्यान्वित घटकों को एसओईपीआर में दोहराया नहीं जाएगा।

8.6 सीईसी ने यह भी निर्देश दिया कि एनआईआरडी और पीआर परियोजना के मात्रात्मक वितरण (एसओईपीआर और एसआईआरडी को मजबूत करना) के आधार पर एक उपयुक्त वेब आधारित निगरानी तंत्र स्थापित करे। परियोजना के प्रत्येक घटक के तहत प्रगति की मासिक रिपोर्ट एनआईआरडी और पीआर द्वारा एमओपीआर को प्रस्तुत की जाएगी। पोर्टल को प्रस्तावित पंचायत शासन, ई-गवर्नेंस और सेवा वितरण केंद्र द्वारा डिजाइन और प्रबंधित किया जाएगा। तदनुसार, केंद्र में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता और डोमेन ज्ञान के साथ अनुभव वाले अतिरिक्त 2 जनशक्ति को लगाया जाएगा। इसके अलावा, प्रस्तावित जनशक्ति की नियुक्ति के लिए उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि पर एनआईआरडी और पीआर द्वारा एमओपीआर के परामर्श से काम किया जाएगा।

एजेंडा-9: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाएं

असम, बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे 10 राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) को मंजूरी दी गई। सीईसी की टिप्पणियों और अनुमोदित बजट सारांश का विवरण इस प्रकार है:

9.1 असम:

सीईसी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए असम की आम आदमी पार्टी पर विचार किया। राज्य ने आम आदमी पार्टी वित्त वर्ष 2023-24 में 181 पंचायत भवनों की मरम्मत का प्रस्ताव रखा। यह देखा गया कि इस गतिविधि को वित्त वर्ष 2021-22 में मंजूरी दी गई थी और उसी वर्ष के भीतर पूरा करने की शर्त के साथ आम आदमी पार्टी वित्त वर्ष 2022-23 में कैरीओवर गतिविधि के रूप में पुनर्मान्य किया गया था। हालांकि, गतिविधि को पूरा करने के लिए विलंबित व्यय को देखते हुए, सीईसी ने इसे मंजूरी नहीं दी। सीईसी ने राज्य को वित्त वर्ष 2023-24 के भीतर गतिविधि को पूरा करने के लिए उपलब्ध शेष राशि और/या अन्य राज्य स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संशोधित आरजीएसए दिशानिर्देशों के तहत, पंचायत भवन मरम्मत के लिए धन देने का प्रावधान हटा दिया गया है। असम राज्य की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुबंध-9 (I) में है।

9.2 बिहार:

9.2.1 सीईसी द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिहार राज्य की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार किया गया। राज्य से अनुरोध किया गया है कि वह वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान निधि जारी करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक व्यय करे। बिहार राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना का विस्तृत बजट सारांश **अनुबंध-9 (II)** में है।

9.3 गोवा:

9.3.1 गोवा राज्य के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एएपी पर सीईसी द्वारा विचार किया गया। सीईसी ने पाया कि राज्य ने उचित क्रम में अपेक्षित उपयोग प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। तदनुसार, राज्य के अधिकारियों को उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। गोवा राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश **अनुबंध-9 (III)** में है।

9.4 जम्मू और कश्मीर:

9.4.1 जम्मू और कश्मीर की आम आदमी पार्टी पर सीईसी ने विचार किया। जम्मू और कश्मीर की पंचायत राज व्यवस्था का गठन पिछले 4 वर्षों में किया गया है। ग्राम पंचायतें सुशासन के विभिन्न पहलुओं में अपनी क्षमता का निर्माण कर रही हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों और अन्य संस्थाओं में राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट से सेवाएं प्रदान करने के लिए उनकी संस्थागत क्षमता समृद्ध होगी। इस संबंध में, यूटी ने समिति से राज्य के भीतर के बजाय राज्य के बाहर निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक्सपोजर विजिट पर विचार करने का अनुरोध किया। इसे समिति द्वारा एक विशेष शर्त के रूप में माना गया है। सीईसी के अध्यक्ष ने एसआईआरडी/एसपीआरसी की संरचना को मजबूत करने का अनुरोध किया; पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए पीआरआई की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और पिछले वित्तीय वर्ष 22-23 में किए गए पंचायत भवन के निर्माण में तेजी लानी चाहिए। इसके अलावा, यूटी के अधिकारियों ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर प्रदान किए गए थे, विभिन्न अनुप्रयोगों की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-सक्षमता के एक भाग के रूप में पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। समिति ने प्रस्ताव को एक विशेष मामले के रूप में माना है। यूटी के अधिकारियों ने यह भी कहा कि आर्थिक और आय सृजन पर परियोजनाएं नियत समय में प्रस्तुत की जाएंगी। पीबी की मरम्मत पर समिति ने विचार नहीं किया है। जम्मू और कश्मीर राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुबंध-9 (IV) में है।

9.5 मध्य प्रदेश:

9.5.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश की आम आदमी पार्टी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने विचार किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पाया कि राज्य ने 1040 क्लस्टर स्तर के बजाय अपने सभी 5211 पेसा ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम सभा उन्मुखीकरण का प्रस्ताव दिया है। अपने स्पष्टीकरण में, राज्य ने स्पष्ट किया कि उसने हाल ही में पेसा अधिनियम तैयार किया है और ग्राम सभा आयोजित करने के लिए पेसा क्षेत्रों में पीआरआई सदस्यों के लिए उन्मुखीकरण आयोजित करने की आवश्यकता है। पेसा क्षेत्रों के मामले में अपवाद बनाते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने मध्य प्रदेश राज्य में सभी 5211 ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम सभा उन्मुखीकरण को मंजूरी दी है। जिसके लिए प्रति पेसा ग्राम पंचायत 15000 रुपये (@15000X5211) मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुलग्नक-9 (V) में है।

9.6 महाराष्ट्र: -

9.6.1 महाराष्ट्र की आम आदमी पार्टी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने विचार किया। मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष ने एसआईआरडी/एसपीआरसी की संरचना को मजबूत करने, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए पीआरआई की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और पिछले वित्त वर्ष 22-23 में किए गए पंचायत भवन के निर्माण में तेजी लाने का अनुरोध किया। हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त ने नए पीबी के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया क्योंकि प्रस्तावित जीपी पीईएसए क्षेत्र में आते हैं या नहीं, इस बारे में जानकारी राज्य द्वारा नहीं दी गई है।

9.6.1 इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पेसा ग्राम पंचायत (राज्यों के संदर्भ में, जिन्होंने अपने-अपने राज्यों में पहले से ही पेसा अधिनियम लागू कर रखा है) को मध्य प्रदेश के मामले में स्वीकृत की गई बातों के संदर्भ में ग्राम सभा अभिविन्यास गतिविधियों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता (आरजीएसए दिशानिर्देशों के अनुसार) मिलेगी। महाराष्ट्र राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने यह भी कहा कि अभिनव परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नियत समय में प्रस्तुत की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुबंध-9 (VI) में है।

9.7 मिजोरम :

9.6.1 वर्ष 2023-24 के लिए 100.27 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई। हालांकि, सीईसी ने मिजोरम राज्य द्वारा आरजीएसए फंड को पार्क करने पर गंभीरता से विचार किया है। नवंबर, 2022 में केंद्रीय हिस्से (90%) के मुकाबले 14.27 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। राज्य के वित्त विभाग ने न तो इन निधियों को एसएनए को हस्तांतरित किया है और न ही उन्होंने आज तक राज्य का हिस्सा (10%) जारी किया है। सीईसी को इस मामले को मिजोरम के सीएम के साथ उठाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, रिलीज और व्यय की निगरानी के लिए, सीईसी ने रिलीज के 10 दिनों के बाद सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ मामले को उठाने का निर्देश दिया और अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो रिलीज के 1 महीने बाद फाइल एसपीआर को रखी जा सकती है।

9.8 नागालैण्ड

9.8.1 वर्ष 2023-24 के लिए 64.88 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें 2022-23 में सीईसी द्वारा पहले से स्वीकृत 2 अभिनव योजनाओं को शामिल किया गया है। सीईसी ने पीएफएमएस और ऑनलाइन ऑडिट औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि 2023-24 में समय पर धनराशि जारी की जा सके। नागालैंड राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुलग्नक-9 (VIII) में है।

9.9 तमिलनाडु :

9.9.1 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तमिलनाडु की एएपी पर सीईसी ने विचार किया। सीईसी की बैठक के दौरान, राज्य पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने आवश्यकता को उचित ठहराया और अध्यक्ष से

सेवा वितरण पर एक अतिरिक्त प्रशिक्षण गतिविधि पर विचार करने का अनुरोध किया, जो कि एमओपीआर के साथ साझा किए गए मूल एएपी का हिस्सा नहीं था। पीआरआई सदस्यों और सेवा वितरण के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर विचार करना। इसके अलावा, राज्य ने ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए सैटकॉम सुविधाओं की आवश्यकता को स्पष्ट किया और इसलिए सीईसी से 1 स्टूडियो, 5 एसआईटी, 37 नई वैकल्पिक प्रौद्योगिकी आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधाओं पर विचार करने और कुल 7.465 करोड़ रुपये की लागत से 388 ब्लॉकों में गतिविधि को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। सीईसी ने दोनों प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और राज्य से आधिकारिक अनुमोदन के लिए एमओपीआर को संशोधित एएपी वित्त वर्ष 2023-24 प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। तमिलनाडु राज्य की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुलग्नक-9 (IX) में है।

9.10 पश्चिम बंगाल:

9.10.1 पश्चिम बंगाल की आम आदमी पार्टी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने विचार किया। राज्य ने कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, झारग्राम और पश्चिम बर्धमान जिलों में 5 नए डीपीआरसी का निर्माण और जीटीए क्षेत्र (दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के पहाड़ी क्षेत्र) में 5 नए पंचायत भवन का निर्माण प्रस्तावित किया है। हालांकि, संयुक्त सचिव, पीआरडीडी ने बताया कि जीटीए क्षेत्र में 35 ग्राम पंचायतों में कोई पंचायत भवन नहीं है और जीटीए क्षेत्र में 35 नए पंचायत भवनों के निर्माण की मंजूरी के लिए सीईसी के समक्ष प्रस्ताव रखा। समिति ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के बाद जीटीए क्षेत्र के 5 नए डीपीआरसी और 35 नए पीबी के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में पंचायत आम चुनाव नियत समय में आयोजित किए जाएंगे। सुशासन के विभिन्न घटकों पर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश **अनुबंध-9 (X)** में है।

अनुबंध II

संशोधित बजट सारांश महाराष्ट्र 2022-23

क्र.सं	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि**
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
a	सामान्य अभिमुखीकरण (79809 प्रतिभागी)/पुनश्चर्या कार्यक्रम	42.825
b	प्रशिक्षण (16808 ई.आर.जी.पी.)	55.060
c	पंचायत विकास योजना (914793 प्रतिभागी)	60.064
d	विषयगत प्रशिक्षण (589398 प्रतिभागी)	9.844
e	विशेष प्रशिक्षण (29538 प्रतिभागी)	7.847
f	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, प्रशिक्षण सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (2584 के अंदर और 520 के बाहर), 20 पीएलसी, सीबीएंडटी का मूल्यांकन)	7.337
	सीबीएंडटी का कुल योग	182.977
2	संस्थागत अवसंरचना	
a	डीपीआरसी निर्माण (2 कैरी ओवर)	1.66
b	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती	0.207
c	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती	1.219
	संस्थागत अवसंरचना का योग	3.086
3	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
a	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
b	डीपीआरसी आवर्ती लागत (6 डीपीआरसी)	1.20
	कुल (आवर्ती लागत)	2.04
4	सैटकॉम या आईपी-आधारित के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	1.87
5	प्रौद्योगिकी	
a	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	48.444 (21.64 + 26.804)
b	पीबी का निर्माण (379 + 134 = 513 कैरी ओवर)	0.34
c	सीएससी का सह-स्थान (256 कैरी ओवर)	0.43
	कुल पीआई	49.214
6	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
a	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
b	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (34 डीपीएमयू)	3.672

c	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (351 बीपीएमयू)	16.848
	कुल पीएमयू	20.784
7	पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत बनाने के लिए विशेष सहायता	17.253
8	अन्य घटक (यदि कोई हो तो उसे शामिल करते हुए)	
a	नवोन्वेषी गतिविधि (आगे बढ़ाएँ): ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए नवोन्मेषी सामाजिक-आर्थिक समाधान।	0.60
b	नवोन्मेषी गतिविधि (कैरी ओवर): के 31 सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए	2.00
	अन्य घटकों का योग	2.60
	योग	279.824
9	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	5.59
10	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	4.19
	कुल योजना	289.604

क्र.सं	व्यय का मद	वास्तविक लक्ष्य	प्रति माह यूनिट लागत (रु.)	**2023-24 8** महीने के लिए	**2024-25 (10%** की वृद्धि)	**2025-26 (10%** वृद्धि जोड़कर)	कुल
एसओईपीआर घटक के लिए मानव संसाधन की लागत							
1	एसओईपीआर के प्रमुख के रूप में उप महानिदेशक को पारिश्रमिक	1	2,60,000	20,80,000	34,32,000	37,75,200	92,87,200
2	एसआईआरडीपीआर को मजबूत करने के लिए पीएमयू के निदेशक को पारिश्रमिक	1	1,50,000	12,00,000	19,80,000	21,78,000	53,58,000
3	एसोसिएट प्रोफेसर को पारिश्रमिक	2	2,25,000	36,00,000	59,40,000	65,34,000	1,60,74,000
4	सहायक प्रोफेसर और सलाहकार को पारिश्रमिक	29	1,00,000	2,32,00,000	3,82,80,000	4,21,08,000	10,35,88,000
5	प्रशासन और लेखा कर्मचारियों को पारिश्रमिक	3	40,000	9,60,000	15,84,000	17,42,400	42,86,400
6	मल्टी-टास्क सहायक को पारिश्रमिक	5	20,000	8,00,000	13,20,000	14,52,000	35,72,000
7	एसओईपीआर घटक के लिए मानव संसाधन की कुल लागत	41		3,18,40,000	5,25,36,000	5,77,89,600	14,21,65,600
8	छुट्टी वेतन, पेंशन अंशदान/देयता, टीए/डीए आदि के प्रावधान सहित स्थापना लागत (वास्तविक के अनुसार)		20% of the Cost in the row under Sl.No.7	63,68,000	1,05,07,200	1,15,57,920	2,84,33,120

9	एनआईआरडीपीआर में स्कूल घटक के लिए कार्यालय स्थान (किराए पर लिया जाना) को फर्नीचर, कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों, अन्य उपकरणों आदि से सुसज्जित करना (वास्तविक के अनुसार)		Lump Sum	1,50,00,000	50,00,000	50,00,000	2,50,00,000
10	एसआईआरडीपीआर और पीआरआई के कामकाज का अनुसंधान, कार्रवाई अनुसंधान और मूल्यांकन	आवश्यक तानुसार	Lump Sum	50,00,000	50,00,000	50,00,000	1,50,00,000
	(वास्तविक के अनुसार)			**5,82,08,000**	**7,30,43,200**	**7,93,47,520**	**21,05,98,720**
अतिरिक्त जनशक्ति के साथ एसआईआरडीपीआर को मजबूत करने के लिए गतिविधियों की लागत							
10	वरिष्ठ सीबी सलाहकार एवं राज्य को पारिश्रमिक गुणवत्ता मॉनिटर्स	24	75,000	1,44,00,000	2,16,00,000	2,37,60,000	5,97,60,000
11	सीबी सलाहकार और राज्य गुणवत्ता मॉनिटरों को पारिश्रमिक	148	60,000	7,10,40,000	11,72,16,000	12,89,37,600	31,71,93,600
12.	एसआईआरडीपीआर		लगभग	2,35,00,000	1,00,00,000	80,00,000	4,15,00,000
14	कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों की लागत,			1,70,00,000	1,87,00,000	2,05,70,000	5,62,70,000
15	सीबी सलाहकार और राज्य की टीमों के लिए अन्य उपकरण आदि			**12,59,40,000**	**16,75,16,000**	**18,12,67,600**	**47,47,23,600**

16	राज्य में गुणवत्ता मॉनिटर (वास्तविक के अनुसार)			**18,41,48,000**	**24,05,59,200**	**26,06,15,120**	**68,53,22,320**

अनुबंध **-9 (I)**

असम राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश **2023-24**

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (0 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (7600 ई.आर./पी.एफ.)	3.45
ख.	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (176025 प्रतिभागी)	35.75
ग.	विषयगत प्रशिक्षण (45000 प्रतिभागी)	20.25
घ.	विशेष प्रशिक्षण (55070 प्रतिभागी)	19.55
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (39120 प्रतिभागी)	10.29
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (5 टी.एन.ए., 4 प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, 5 प्रशिक्षण सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (राज्य के भीतर 2000 प्रतिभागी और राज्यों के बाहर 1900 प्रतिभागी), 4 पी.एल.सी., 1 सी.बी. का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्रों में 54 एम.टी., जी.पी. को सहायता प्रदान करना-700)	7.84
	सी.बी.एंड.टी. की कुल	**97.13**
2.	संस्थागत अवसंरचना	
क.	डी.पी.आर.सी. निर्माण (12 = 5 नए और 7 कैरी ओवर-गतिविधि वित्त वर्ष 2022-23)	24.00
ख.	किराए के भवन में बी.पी.आर.सी. (5 कैरी ओवर-गतिविधि वित्त वर्ष 2022-23) ओवर-एक्टिविटी वित्त वर्ष 2022-23)	0.18
	संस्थागत बुनियादी ढांचे का योग	**24.18**
3.	संस्थागत बुनियादी ढांचा (आवर्ती लागत)	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (18 डीपीआरसी)	3.61
ग.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (5 बीपीआरसी)	0.21
	कुल (आवर्ती लागत)	**4.66**
4.	सैटकॉम या आईपी-आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा (सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव/तकनीकी जनशक्ति)	**1.36**
5.	पंचायत बुनियादी ढांचे (पीआई) के लिए समर्थन	
क	पीबी का निर्माण (171 नए)	34.20
ख	पीबी का निर्माण (261 पीबी- वित्त वर्ष 2022-23 तक आगे बढ़ा)	26.10
ग	सीएससी का सह-स्थान (175 वित्त वर्ष 2021-22 तक आगे बढ़ा)	3.50
	पीआई का योग	**63.80**

6.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	3.468
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	10.51
	पीएमयू का योग	**14.24**
7.	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण	
	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) 500 कैरी-ओवर गतिविधि वित्त वर्ष 2021-22	**2.50**
	उप-योग	**207.87**
8.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	4.16
9.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	3.12
	कुल योजना	**215.15**

बिहार राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश 2023-24

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	ईआर/पीएफ के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (248298 प्रतिभागी)	51.76
ख.	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (136645 प्रतिभागी)	29.45
ग.	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र सक्षमकर्ता प्रशिक्षण (1169935 प्रतिभागी)	118.19
घ.	विशेष प्रशिक्षण (59330 प्रतिभागी)	10.13
2	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ	
क.	जीपीडीपी के लिए सहायता सहायता (570 जीपी)	1.14
ख.	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (300 प्रतिभागी)	0.105
ग.	राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट (120 प्रतिभागी)	0.30
घ.	पंचायत शिक्षण केंद्र (10 पीएलसी)	0.70
ङ.	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.10
च.	प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.20
छ.	प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन	0.10
ज.	विषयगत क्षेत्र में सीबीएमटी का मूल्यांकन (18 एमटी)	0.10
झ.	सीबीएंडटी की कुल संख्या	0.025
	संस्थागत अवसंरचना	**212.3**
3	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की भर्ती	
क.	भर्ती ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की कुल संख्या	0.14
ख.	संस्थागत अवसंरचना की कुल संख्या	1.84
	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	**1.98**
4	एसपीआरसी आवर्ती लागत	
क.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (38 डीपीआरसी)	0.84
ख.	कुल (आवर्ती लागत)	7.60
	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	**8.44**
5	पीबी का निर्माण या कैरी ओवर (280 पंचायत भवन (सीओ)	
क.	सीएससी का सह-स्थान या कैरी ओवर (250 सीईसी (सीओ) के लिए)	56.00
ख.	पीआई की कुल संख्या	10.00
	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	**66.00**
6	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	
क.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (38 डीपीएमयू)	0.26
ख.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (533 बीपीएमयू)	4.10
ग.	पीएमयू की कुल संख्या	25.58
	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण	**29.94**
7	कंप्यूटर और सहायक उपकरण	

क.	(प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (सीओ. 267 कंप्यूटर)	1.33
	ई-सक्षमता का योग	**1.33**
8	अन्य घटक (यदि कोई हो तो कैरी ओवर सहित)	
क.	आर्थिक विकास और आय वृद्धि (प्लंबर प्रशिक्षण सी.ओ.	9.53
	2022-23)	**9.53**
	अन्य घटकों का योग	**329.52**
9	उप-योग	6.59
10	आई.ई.सी. (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	4.94
	पी.एम.यू. (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	**341.05**

गोवा राज्य की स्वीकृत एएपी का बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित
1	प्रशिक्षण घटक	
क.	जिला पंचायतों के ईआर के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण	0.01
ख.	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण	0.06
ग.	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण	0.03
घ.	विशेष प्रशिक्षण	0.23
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण	0.13
च.	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के तहत अन्य गतिविधियाँ	0.70
	कुल सीबी एंड टी	**1.16**
2	संस्थागत बुनियादी ढाँचा (आवर्ती लागत)	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.61
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत	0.11
	कुल संस्थागत बुनियादी ढाँचा (आवर्ती लागत)	**0.72**
3.	पंचायत बुनियादी ढाँचे (पीआई) के लिए समर्थन	
क.	1 जीपी के लिए नए पंचायत भवन का निर्माण (प्रति जीपी 20 लाख रुपये तक)	0.20
	पंचायत बुनियादी ढाँचे का योग	**0.20**
4.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.18
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	0.08
	कुल पीएमयू	**0.26**
	उप-योग	**2.34**
5	आईईसी (2%)	0.05
6	पीएमयू (1.5%)	0.04
	कुल	**2.42**

अनुबंध-9 (IV)

जम्मू और कश्मीर राज्य के स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण (34162 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (280 प्रतिभागी)	17.36
ख.	पंचायत विकास योजना (71747 प्रतिभागी)	15.06
ग.	विषयगत प्रशिक्षण - (34059 प्रतिभागी)	15.01
घ.	विशेष प्रशिक्षण (32241 प्रतिभागी)	5.13
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (80983 प्रतिभागी)	17.38
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ	38.11
	(285- हैंडहोल्डिंग, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री का विकास, ईआर का एक्सपोजर दौरा - बाहर:10343, पीएलसी-12, सीबीएंडटी का मूल्यांकन)	**108.05**
2	सीबीएंडटी का योग	
क.	संस्थागत अवसंरचना	8.00
ख.	डीपीआरसी निर्माण (केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए)/ किराए की इमारत) (4 डीपीआरसी आगे बढ़ते हैं)	0.12
	किराए की इमारत में डीपीआरसी (2 डीपीआरसी)	**8.12**
3	संस्थागत अवसंरचना का योग	
क.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	0.84
ख.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.40
	डीपीआरसी आवर्ती लागत	**1.24**
4	कुल (आवर्ती लागत)	
क.	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	100.00
ख.	पीबी का निर्माण (500 पीबी कैरी ओवर)	55.30
	सीएससी का सह-स्थान (1106 कैरी ओवर)	**155.30**
5	पीआई का योग	
क.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	0.26
ख.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	2.16
ग.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	2.73
	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	**5.15**
6	पीएमयू का योग	

क.	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण	2.36
	कंप्यूटर और सहायक उपकरण	**2.36**
	(1000 जीपी के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी @ 23600)	**280.22**
7	ई-सक्षमीकरण का योग	5.60
8	उप योग	4.20
	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	**290.03**

मध्य प्रदेश राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश **2023-24**

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (364892 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (395550 ई.आर./पी.एफ.)	156.55
ख.	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (1047864 प्रतिभागी)	98.07
ग.	विषयगत प्रशिक्षण (418562 प्रतिभागी)	88.70
घ.	विशेष प्रशिक्षण (298050 प्रतिभागी)	39.49
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (371693 प्रतिभागी)	47.89
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टी.एन.ए., प्रशिक्षण मॉड्यूलों का 25 विकास, प्रशिक्षण सामग्री का 10 विकास, एक्सपोजर विजिट (राज्य के भीतर 4000 प्रतिभागी और राज्यों के बाहर 2500 प्रतिभागी), 10	14.97
	पी.एल.सी., सीबी का 4 मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्रों में 2817 एम.टी., जी.पी.एस. को सहायता-सहायता-1150)	**445.67**
2.	सी.बी.एंड.टी. की कुल	
क.	संस्थागत अवसंरचना	1.80
ख.	किराए के भवन में डी.पी.आर.सी. (30 जिसमें 20 पी.ई.एस.ए. और 10 सबसे आंतरिक शामिल हैं) जिले)	0.05
ग.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरण किराए पर लेना	5.40
घ.	किराए के भवन में बीपीआरसी (89 पेसा और 61 सबसे आंतरिक ब्लॉक सहित 150)	2.78
	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरण किराए पर लेना	**10.03**
3.	संस्थागत अवसंरचना का कुल	
क.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	0.84
ख.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	6.00
ग.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (30 डीपीआरसी नए)	6.30
	बीपीआरसी आवर्ती लागत (150 बीपीआरसी)	**13.14**
4.	कुल (आवर्ती लागत)	**5.53**
5.	सैटकॉम या आईपी-आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा (कैरी ओवर)	
क.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	0.264
ख.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	5.62
ग.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (52 डीपीएमयू)	15.02
	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (313 बीपीएमयू)	**20.90**
6.	पीएमयू का कुल	**36.29****

7.	पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष समर्थन	
a	अन्य घटक (कैरी ओवर सहित यदि कोई हो)	6.00
b	आर्थिक विकास और आय वृद्धि (नया):	3.00
	पर्यटन आधारित सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से आजीविका के अवसर पैदा करना मध्य प्रदेश के गांव	**9.00**
	आर्थिक विकास और आय संवर्धन (नया): मनरेगा अज्जेविका भाऊखेड़ी एकीकृत पार्क का संवर्धन	**540.56**
8.	अन्य घटकों का योग	10.81
9.	उप-योग	8.11
	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	**559.48**

** राज्य ने हाल ही में पेसा अधिनियम तैयार किया है और इस संबंध में अपवाद स्वरूप 1040 क्लस्टर स्तरीय उन्मुखीकरण के स्थान पर सभी 5211 पेसा ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा उन्मुखीकरण के लिए विचार किया गया है। जिसके लिए सीईसी द्वारा प्रति पेसा ग्राम पंचायत 15000 रुपये (@15000X5211) स्वीकृत किए गए हैं।

अनुबंध- **9 (VI)**

महाराष्ट्र राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि**
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण (116030 प्रतिभागी)/पुनश्चर्या कार्यक्रम	48.48
ख.	प्रशिक्षण (11000 ई.आर.जी.पी.)	48.58
ग.	पंचायत विकास योजना (856974 प्रतिभागी)	93.74
घ.	विषयगत प्रशिक्षण (325006 प्रतिभागी)	37.78
ङ.	विशेष प्रशिक्षण (154362 प्रतिभागी)	7.25
च.	कोई अन्य प्रशिक्षण (26305 प्रतिभागी)	9.73
	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टी.एन.ए., प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, प्रशिक्षण सामग्री का विकास,	**245.57**
2	एक्सपोजर विजिट (3040 के अंदर और 520 के बाहर), 45 पी.एल.सी., सी.बी.एंड.टी. का मूल्यांकन)	
क.	सी.बी.एंड.टी. का योग	0.70
ख.	संस्थागत अवसंरचना	0.17
ग.	डी.पी.आर.सी. निर्माण (2 कैरी ओवर)	1.82
	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की भर्ती	**2.69**
3	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की भर्ती	
क.	संस्थागत अवसंरचना का योग	0.84
ख.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	1.20
	एस.पी.आर.सी. आवर्ती लागत	**2.04**
4	डी.पी.आर.सी. आवर्ती लागत (6 डीपीआरसी)	**3.06**
5	कुल (आवर्ती लागत)	
क.	सैटकॉम या आईपी-आधारित के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	28.30
	प्रौद्योगिकी	**28.30**
6	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	
क.	पीबी का निर्माण (144 कैरी ओवर)	0.27
ख.	पीआई का कुल	3.67
ग.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	16.86
	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	**20.8**

7	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (34 डीपीएमयू)	**20.76**
8	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (351 बीपीएमयू)	
क.	पीएमयू का कुल	0.60
ख.	पीईएसए क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता	2.00
	अन्य घटक (यदि कोई हो तो कैरी ओवर सहित)	**2.60**
	अभिनव गतिविधि (वित्त वर्ष 2021-22 से कैरी ओवर): अभिनव	**325.82**
9	ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए सामाजिक-आर्थिक समाधान।	**6.51**
10	अभिनव गतिविधि (वित्त वर्ष 2021-22 से कैरी ओवर): के 31 सड़क	**4.88**
	सड़क निर्माण के लिए भवन प्रौद्योगिकी। अन्य घटकों का योग	**337.21**

मिजोरम राज्य के स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश **2023-24**

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	रिफ्रेशर कार्यक्रम प्रशिक्षण (2502 ई.आर./पी.एफ.)	1.50
ख.	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (8592 प्रतिभागी)	1.09
ग.	विषयगत प्रशिक्षण (7209 प्रतिभागी)	4.33
घ.	विशेष प्रशिक्षण (7506 प्रतिभागी)	4.50
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (1668 प्रतिभागी)	1.00
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टी.एन.ए., प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, प्रशिक्षण सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (राज्य के अंदर 100 प्रतिभागी तथा राज्यों के बाहर 100 प्रतिभागी)	1.42
	सी.बी.एंड.टी. का योग	**16.84**
2.	भवन निर्माण में संस्थागत अवसंरचना डी.पी.आर.सी. (1)	**2.00**
3.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
क.	एस.पी.आर.सी. आवर्ती लागत	0.84
ख.	डी.पी.आर.सी. आवर्ती लागत (9 डी.पी.आर.सी. नए)	1.80
ग.	बी.पी.आर.सी. आवर्ती लागत	0.00
	कुल (आवर्ती लागत)	**2.64**
4.	पंचायत अवसंरचना (पी.आई.) के लिए सहायता	**0.00**
क	पंचायत भवन का निर्माण (230 कैरी ओवर तथा 100 नए)	66.00
ख	सी.एस.सी. का सह-स्थान (100)	5.00
	पंचायत अवसंरचना के लिए समर्थन का योग (पीआई)	**71.00**
5.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (11-डीपीएमयू)	1.20
	पीएमयू का योग	**1.46**
6.	पंचायतों का सक्षमीकरण-कंप्यूटर और सहायक उपकरण-591	**2.96**
	उप-योग	**96.88**
7	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	1.94
8	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	1.45
	कुल योजना	**100.17**

अनुबंध-9 (VIII)

नागालैंड राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश 2023-24

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	ईआर के लिए सामान्य अभिमुखीकरण/प्रेरण प्रशिक्षण (6880)	5.16
ख.	रिफ्रेशर कार्यक्रम प्रशिक्षण (1000 ईआर/पीएफ)	0.72
ग.	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (21873 प्रतिभागी)	2.54
घ.	विषयगत प्रशिक्षण (18254 प्रतिभागी)	4.88
ङ.	विशेष प्रशिक्षण (4060 प्रतिभागी)	1.70
च.	कोई अन्य प्रशिक्षण (2568 प्रतिभागी)	0.39
छ.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, प्रशिक्षण सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (राज्य के भीतर 300 प्रतिभागी और राज्यों के बाहर 50 प्रतिभागी)	1.93
	सीबीएंडटी का कुल योग	**17.32**
2.	संस्थागत अवसंरचना	
क.	भवन निर्माण में डीपीआरसी (4)	8.00
ख.	किराए के भवन में डीपीआरसी (4)	0.24
ग.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना की भर्ती	0.09
घ.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	**8.33**
ङ.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.31
च.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (4 डीपीआरसी नए)	0.66
	कुल (आवर्ती लागत)	**0.97**
4.	पंचायत अवसंरचना के लिए सहायता (पीआई) - पंचायत भवन का निर्माण (84 कैरी ओवर और 50 नए)	**26.80**
5.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (18-डीपीएमयू)	1.63
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (74-बीपीएमयू)	2.67
	पीएमयू की कुल संख्या	**4.56**
6.	पंचायतों को सक्षम बनाना-कंप्यूटर और सहायक उपकरण-244 कंप्यूटर	**1.22**
7.	अभिनव सहायता (कैरी ओवर)	
क.	सामुदायिक संसाधन केंद्र की स्थापना	2.12
ख.	ग्रामीण संसाधन और प्रशिक्षण की स्थापना	1.5
	उप-योग	**61.85**
8.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	1.24
9.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.93
	कुल योजना	**64.02**

अनुबंध-9 (IX)

तमिलनाडु राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि**
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
a.	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (0 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (72851ईआर/पीएफ)	15.07
b.	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (85700 प्रतिभागी)	8.75
c.	विषयगत प्रशिक्षण (57956 प्रतिभागी)	19.52
d.	विशेष प्रशिक्षण (27512 प्रतिभागी)	8.25
e	सेवा वितरण प्रशिक्षण के लिए रु. 17.295 करोड़ 35992 (ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, बीडीओ, उप बीडीओ, जेडी, एडीआरडी, तकनीकी विंग) सहित कोई अन्य प्रशिक्षण (68344 प्रतिभागी)	36.13
f.	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, एक्सपोजर विजिट (राज्य के भीतर 2500 प्रतिभागी और राज्यों के बाहर 1500 प्रतिभागी), 10 पीएलसी, विषयगत क्षेत्रों में 200 एमटी, जीपी को सहायता प्रदान करना - 740)	8.16
	सीबीएंडटी का योग	**95.87**
2.	संस्थागत अवसंरचना	
a.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरण की खरीद	0.74
	संस्थागत अवसंरचना का योग	**0.74**
3.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
a.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
b.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (37डीपीआरसी)	7.40
c.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (388 बीपीआरसी)	16.30
	कुल (आवर्ती लागत)	**24.54**
4.	सैटकॉम या आईपी-आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा (1 राज्य स्तरीय स्टूडियो, ईटीसी के लिए 5 एसआईटी, 37 नई-वैकल्पिक प्रौद्योगिकी और 388 ब्लॉकों में कैरी ओवर)	**7.46**
5.	पंचायत इंफ्रास्ट्रक्चर (पीआई) के लिए सहायता	
a.	सीएससी सह-स्थान (वित्त वर्ष 2021-22 से 460 कैरी ओवर)	23.00
	कुल पीआई	**23.00**
6.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
a.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
b.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (52डीपीएमयू)	3.99

c.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (313बीपीएमयू)	18.62
	कुल पीएमयू	**22.88**
	योग	**174.49**
7	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	3.49
8	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	2.62
	कुल योजना	**180.60**

अनुबंध-9 (X)

पश्चिम बंगाल राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि**
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
a	सामान्य अभिमुखीकरण (95859 प्रतिभागी)	27.05
b	पंचायत विकास योजना (1,38,680 प्रतिभागी)	14.06
c	विषयगत प्रशिक्षण - (37,288 प्रतिभागी)	6.80
d	विशेष प्रशिक्षण (19,067 प्रतिभागी)	4.04
e	कोई अन्य प्रशिक्षण (34837 प्रतिभागी)	7.16
f	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ	3.47
	(TNA, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री का विकास, ER का एक्सपोजर दौरा - भीतर: 230, ER का एक्सपोजर दौरा - बाहर - 375; PLC-2,	**62.58**
2	CB&T का मूल्यांकन, अतिरिक्त प्रशिक्षक:-888, संकाय विकास: 66)	
a	CB&T की कुल	10.00
b	संस्थागत अवसंरचना	0.30
c	DPRC निर्माण (केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए)/ किराए की इमारत) (5 नई DPRC)	0.06
d	किराए की इमारत में DPRC (5 DPRC)	0.14
	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरण किराए पर लेना (जिला स्तर पर कुल प्रशिक्षण का 1%)	**10.5**
3	प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरण किराए पर लेना ब्लॉक स्तर पर	
a	संस्थागत अवसंरचना का योग	0.84
b	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	5.19
c	एसपीआरसी आवर्ती लागत	14.48
3	डीपीआरसी आवर्ती लागत	**20.51**
4	बीपीआरसी आवर्ती लागत	
a	कुल (आवर्ती लागत)	7.00
4.	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	**7.00**
5	पीबी का निर्माण (35 नए पीबी)	
a	पीआई का योग	0.22
b	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	2.24
c	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	7.69
5	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	**10.15**
6	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	**2.21**

7	पीएमयू का योग	**19.52**
	आर्थिक और नवाचार परियोजना (1 आर्थिक परियोजना और 1 नवाचार परियोजना आगे बढ़ाई गई)	**132.47**
8	सैटकॉम/आईपी आधारित प्रौद्योगिकी	2.65
9	उप योग	1.98
	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	**137.10**

 राज्य ने एसपीआरसी और डीपीआरसी में पुस्तकालय के विस्तार का प्रस्ताव दिया है। 23 पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि और सभी बाह्य उपकरणों के साथ एक कंप्यूटर सेट (स्टारपर्ड मुख्यालय के लिए 20.00 लाख रुपये, बीआरएआईपीआरडी के लिए 20.00 लाख रुपये और 21 स्थायी डीपीटीआरसी में से प्रत्येक के लिए 5.00 लाख रुपये। कुल लागत 1.45 करोड़ रुपये

 टिप्पणी: संशोधित आरजीएसए के तहत एसपीआरसी, डीपीआरसी और बीपीआरसी ओएंडएम के लिए जनशक्ति सहित क्रमशः 84 लाख रुपये, 20 लाख रुपये और 4.20 लाख रुपये का समर्थन किया जाता है। राज्य पुस्तकालय के लिए इन घटकों के तहत निधि का उपयोग कर सकता है।

***